न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 99 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट | **रेस्पोडेंटगण**

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. खेमाराम पुत्र सवाईराम उम्र 62 वर्ष जाति सुथार निवासी रामदेरिया पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर	1. ताराराम पुत्र सवाईराम 2. वीराराम पुत्र गोरधनराम 3. हीरालाल पुत्र गोरधनराम जातियान सुथार निवासीयान रामदेरिया पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 06 / 2023 बअनवान खेमाराम बनाम ताराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुरेश चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—29.08.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत मौजा रामदेरिया पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 370 / 24 रकबा 17.6766 हैक्टयर, खसरा संख्या 373 / 56 रकबा 21.0112 हैक्टयर, खसरा संख्या 55 रकबा 0.1295 हैक्टयर के आये हुऐ है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी का प्रत्येक खसरे में 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1 / 3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1 / 3 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुरूप हिस्सा कस्सी राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खुल्ली हुई एवं इसी हिस्सों के माफिक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खुल्ली हुई एवं इसी हिस्सों के माफिक वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर काबिज है। अपीलाधीन आराजी का बंटवारा करने हेतु हस्तगत वाद मातहत अदालत में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहागी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस के अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पेशी तारीख 18.04.2023 को पत्रावली विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार में दिनांक 15.05.2023 को नियत की गई थी परन्तु अपीलांट व उनके अधिवक्ता को बिना जानकारी दिये पत्रावली की पेशी तारीख में बिना किसी प्रार्थना–पत्र के मात्र अपने स्तर पर ही कैम्प बान्दरा कोर्ट में दिनांक 09.05.2023 को पत्रावली को अंतिम निस्तारण कर दिया गया है जबकि पेशी तारीख 09.05.2023 के बारे में अपीलांट व उनके अधिवक्ता को किसी प्रकार की कोई जानकारी तक नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर वहस करते हुए बताया कि अपीलांटस को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के संवंध में कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई थी तथा पत्रावली भी दिनांक 15.05.2023 को नियत थी उससे पूर्व प्रकरण का निरतारण करने पर अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी तथा 30 जून तक लगातार गांव में कैम्प कोर्ट चल रहे थे। वाद का निर्णय करने के बाद उतरदाता द्वारा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करवा दिया तथा अव वर्तमान में अरसा 10–15 दिन पूर्व मौके पर उतरदातागण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे तथा जवरन वेदखल करने की धमकी दी, जिस पर अपीलांट को अपने हक संशय प्रद लगे तो अपीलांट ने आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 01.09.2023 को नकले प्राप्त की जिस पर अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील पेश करने में हुआ विलंव सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान अपीलांटस के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलांटस स्वयं मातहत अदालत के समक्ष वादी है। अपीलांटस के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर ही अपीलाधीन आराजी का बंटवारा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार बाड़मेर स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 09.05.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांटस जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2023 बअनवान खेमाराम बनाम ताराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2023 को यथावत रखा जाता है।

29.08.24

(अजीतसिंह राजोवत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.08.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर